कार्यवाही हुई , अपराध दर्ज हुआ

सामाजिक न्याय संघ को दिया गया था आवेदन

नौकरी दिलाने के नाम पर की गई धोखाघड़ी का मामला

न्यायसाक्षी रायगढ़। शासन से मान्यता प्राप्त संस्था सोशल जस्टिस् यूनियन के समक्ष प्रस्तुत होकर दिए अपने लिखित आवेदन में भगवती यादव जौ0जे0/आ0 श्री संतोष यादव, उम्र 25 वर्ष, निवासी ग्राम भदरा पो0 पासीद तहसील सारंगढ़, जिला रायगढ़, छ0ग0 पिन 496445 ने शपथपूर्वक कहा कि मेरे साथ रामेश्वर चौहान आ0 कतलु चौहान, ग्राम मरारपारा, सोनियाडीह, तहसील बिलाईगढ़, जिला बलौदा बाजार (छ0ग0) ने धोखाघड़ी की है, जिसके सम्बंध में मेरे द्वारा यह आवेदन मय शपथ-पत्र समक्ष नोटरी प्रस्तुत किया जा रहा है।

अपने आवेदन में कहा कि उक्त रामेश्वर चौहान ने मुझसे 2016 में महिला एवं बाल विकास कार्यालय के तहत् शासकीय ऑगनबाड़ी में सुपरवाईज़र का पद दिलवा दूॅगा, कहकर रु0 80,000/- अक्षरांक अस्सी हजार रुपये की मांग की। उक्त सम्बंध में मेरे द्वारा पूछे जाने पर कि मुझको आप कहॉ पर नौकरी दिलवाओं गे उसने कहा कि विकासखण्ड बगीचा जिला जशपुर छ0ग0 में दिलवा दूॅगा, जिसपर मुझे विश्वास हो गया।

अपने आवेदन में कहा कि इसके बाद मैंने दिनॉक 01/06/2016 को रु0 80,000/- अक्षरांक अस्सी हजार रुपये उक्त रामेश्वर चौहान को दिए।

इसके बाद रामेश्वर ने मुझसे मेडिकल सर्टिफिकेट मांगा और एक रजिस्टर दिया और उसमें 161 अधीक्षकों के नाम हैं कहा, और आप परिवेक्षक हैं कहा, आपका काम यह है कि आप अधीक्षकों की हाजिरी भरिए, तो मैने उसके कथनानुसार हाजिरी भर दी, जिसकी फोटोकॉपी उसके द्वारा पेंशनबाड़ा मंत्रालय भेजी जानी है, कहा। जो मैंने भेज दी, इसके बाद मुझे कहा कि साहब पेमेंट नहीं कर रहा मेडिकल भिजवा दो, जिसे मेरे द्वारा भिजवाया गया। मैं उसके द्वारा कहे गए और कार्य करती रही, लेकिन मुझको किसी प्रकार की नियुक्ति होने की सम्भावना नही लग रही थीं। मुझको लग रहा था कि हमारे साथ धोखा हुआ है, मैने बारंबार रामेश्वर चौहान आ0 कतलु चौहान से रकम वापस किए जाने के लिए कहा, लेकिन नहीं लौटाई है, जिस हेतु इस आवेदन की आवश्यकता हुई।

अपने आवेदन के साथ इस सम्बंध में उनके द्वारा शपथ-पत्र भी प्रस्तुत किया गया है और कहा है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र समक्ष नोटरी, जारी किया गया है, जिसे इस आवेदन का अंग माना जावे।

उक्त मामले पर सामाजिक न्याय संघ के प्रयासो से आरोपी के विरूद्ध अपराध दर्ज किया जा चुका है।

:: सामाजिक न्याय संघ ने प्रकरण की गंभीरता के सापेक्ष में तत्काल कार्यवाही करते हुए प्रकरण को तत्काल प्रभाव से निम्न को प्रेषित किया था ::

1/ श्रीमान् राज्यपाल महोदय, राजभवन, 2/श्रीमान् मुख्यमंत्री महोदय, 3/ पुलिस महानिदेशक, 4/ पुलिस महानिरीक्षक, 5/ एस0पी0, रायगढ़, 6/ श्रीमान् एस0पी0, बलौदाबाज़ार, 7/ थाना प्रभारी, थाना कोसीर, 8/ थाना प्रभारी, थाना भटगॉव, जिला बलौदाबाज़ार, छ0ग0।

जिसपर तत्काल कार्यवाही किए जाने से संघ की ओर से धन्यवाद ज्ञापित किया गया है।

शासन ने लिया संज्ञान, 24 अप्रैल को जॉच, आवेदनकर्त्ता तलब

शासकीय नौकरियों में मेरिट के आधार पर होने वाली भर्ती प्रक्रिया रद्द होनी चाहिए, सम्बंधी मामले पर

सामाजिक न्याय संघ को दिया गया था लिखित आवेदन

न्यायसाक्षी रायगढ़। शासन से मान्यता प्राप्त संस्था सोशल जस्टिस् यूनियन के समक्ष प्रस्तुत होकर दिए अपने लिखित आवेदन में तोमर सिंह, बालीराम साहू, कैलाश निराला, एवं मनमोहन रात्रे ने शपथपूर्वक निम्नलिखित कथन उक्त विषयांकित एवं संदर्भित विषय पर स्वयं प्रस्तुत होकर दि या।

उन्होने कहा कि शासकीय नौकरियों में मेरिट के आधार पर होने वाली भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने और लिखित परीक्षा कराने के बाद, पास हुए विद्यार्थियों को मय इंटरव्यूह पात्र होने की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो बहुत से लोगों को जो कि पात्र नहीं हैं, को इस प्रक्रिया में लाभ होता है, और वे लोग इस नियुक्ति से लाभांवित होते हैं, जो कि दरअसल त्रुटिपूर्ण हैं।

यहॉ यह कथन भी महत्वपूर्ण है कि - बहुत सी प्राईव्हेट यूनिवर्सिटी भी छत्तीसगढ़ में शिक्षा प्रदान कर रही हैं, जिनके द्वारा लोक-लुभावने विज्ञापन किए जा रहे हैं, इन विज्ञापनों को देखकर बहुत से विद्यार्थी इन विश्वविद्यालयों में एडमिशन लेते हैं। ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों के प्रवेश की संख्या बहुत अधिक होती है, और इन सभी को उचित रीति से सही ज्ञान दिया जाना संभव नहीं होता है, लेकिन प्राईव्हेट विश्वविद्यालय के लिए अपने रिज़ल्ट को अच्छा बनाए रखना भी मजबूरी है, ताकि आमदनी बनी रहे,, अतः इस तरह के प्राईव्हेट विश्वविद्यालय अपने यहॉ प्रवेशित समस्त विद्यार्थियों को अन्यथा ही अधिक अंक प्रदान करते हैं, जिसके लिए विद्यार्थी आधार-भूत रुप से पात्र नहीं होते!!

इस प्रक्रिया में सही तरीके से पढकर और मेहनत से अंक लाने वाले और शासकीय विश्वविद्यालयों से पढकर एवं पास होकर आने वाले विद्यार्थियों के लिए बेहद तकलीफदेह होता है, जब केवल अंको को देखकर ही शासकीय नौकरी प्राप्त हो तो, अतः इस त्रुटिपूर्ण व्यवस्था को बदलना जरुरी है, जिसके लिए संज्ञान लिया जाना आवश्यक है, और जिस हेतु इस आवेदन की सामाजिक न्याय संघ को जो कि शासन से मान्यता प्राप्त संस्था है को देने की आवश्यकता हुई।

अंकसूची में मेरिट को आधार मानने से पात्र प्रतियोगियों के वंचित होने के संदर्भ में समक्ष नोटरी शपथ-पत्र भी प्रस्तुत किया था।

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग
(छत्तीसगढ़ शासन)
मधु पिल्ले चौक, राम मंदिर के सामने, शांति नगर रायपुर (छ.ग.) 492007
दूरभाष नं. 0771-2446018, फैक्स नं. - 0771-4070131
ईमेल-cgpurc@gmail.com

क्रमांक : 559/MMRC/171/L(5)/2006/6514 रायपुर, दिनांक 07/04/2017

प्रति,
श्री तोमर सिंह जांगडे
जौ.जे/आ. श्री गैफरलाल,
ग्राम-चनामुड़ा, पो. घाटीपाली
तहसील-सारंगढ़, जिला-रायगढ़
पिन नं-496445 (छ.ग.)

विषय-आयोग कार्यालय मे सुनवाई हेतु उपस्थित होने के संबंध मे।
संदर्भ-आपका शिकायती आवेदन पत्र दिनांक 07.12.2016

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से प्रस्तुत शिकायत आयोग कार्यालय में जांच प्रक्रियाधीन है। इस संबंध में वांछित दस्तावेजो सहित आप आयोग कार्यालय में दिनांक 24.04.2017 को प्रातः 12.00 बजे तक अनिवार्य रूप से सुनवाई में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

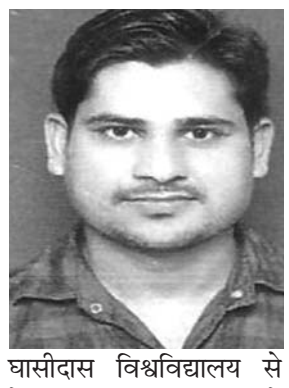

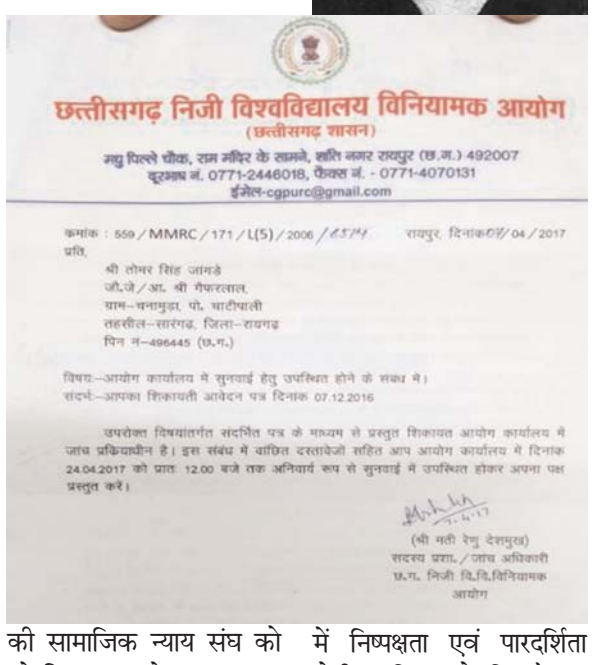

(श्री मती रेणु देशमुख)
सदस्य प्रशा./जांच अधिकारी
छ.ग. निजी वि.वि.विनियामक
आयोग

उन्होने अपने आवेदन में कहा कि कहा कि ऐसी भी सूचनाए हैं कि ये प्राईव्हेट विश्वविद्यालय क्रमशः यू0जी0सी0 , ए0आई0 सी0 टी0 ई0, एवं डी0ई0सी0 के द्वारा पारित एवं लागू, समस्त नार्म्स एवं कंडिशन को पालित नहीं करते और परीक्षाओं को अपनी एवं विद्यार्थी की सुविधानुसार संचालित कर रिज़ल्ट बना देते हैं, जैसे इन विश्वविद्यालयों के द्वारा स्वयं परीक्षाओं को कंडक्ट किया जाता है, और स्वयं अपने इम्पलाई के द्वारा ही उत्तरपुस्तिकाओं की जॉच की जाती है, ऐसी स्थिति में अपने स्वयं के विद्यार्थी को ज्यादा से ज्यादा अंक दिया जाना स्वाभाविक प्रतीत होता है।

इसके साथ ही कई जगह ऐसी शिकायते मिली हैं, कि विद्यार्थियों को प्रश्न-पत्र परीक्षा के पूर्व ही ज्ञात होता है, जिससे भी उनके अंक अधिक आते हैं, इस प्रक्रिया में सही तरीके से पढकर और मेहनत से अंक लाने वाले और शासकीय विश्वविद्यालयों से पढकर एवं पास होकर आने वाले विद्यार्थियों के लिए बेहद तकलीफदेह होता है, जब केवल अंको को देखकर ही शासकीय नौकरी प्राप्त हो तो,, अतः इस त्रुटिपूर्ण व्यवस्था को बदलना जरुरी है।

अपने आवेदन में कहा कि शासकीय नियुक्तियों में निष्पक्षता एवं पारदर्शिता होनी चाहिए, जो कि केवल लिखित परीक्षा एवं इंटरव्यूह के बाद ही आ सकती है, केवल अंको के आधार पर नियुक्ति किया जाना एवं नियुक्ति होना उचित नहीं है, इसके साथ ही किसी विद्यार्थी के बायोडाटा में ईन्टरव्यूह के समय यह भी देखा जाना चाहिए कि उसे 10 वी, 12 वीं, ग्रेजुएशन एवं पोस्ट ग्रेजुएशन या एम0 फिल0, आदि में किस प्रकार अंक मिले हैं, साथ ही यह भी कि जब वह शासकीय संस्थान में अध्ययनरत् था,, तब उसे क्या अंक प्राप्त हुए,, एवं जब उसने किसी प्राईव्हेट विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया,, तब उसे क्या अंक मिले, इस आवेदन के साथ कुछ प्रमाणित तथ्यों को भी प्रस्तुत किया जा रहा है जो कि अवलोकनीय है।

अपने आवेदन के साथ उन्होने कुछ प्रमाणित तथ्य भी प्रस्तुत किए हैं, जैसे वीरेन्द्र यादव नामक व्यक्ति ने पं0 रविशंकर विश्वविद्यालय से कला संकाय में ग्रेजुएशन किया और 49 प्रतिशत अंक प्राप्त किए, इसके बाद उनके द्वारा प्राईव्हेट विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर किया और उनको 76 प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। इसीप्रकार शांति गोड़ के द्वारा गुरु घासीदास विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया गया, जिसमें उनको 47 प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, इसके बाद उनके द्वारा प्राईव्हेट विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर किया और उनको 72 प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। शांति अचल के द्वारा गुरु घासीदास विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया गया, जिसमें उनको 46 प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, इसके बाद उनके द्वारा प्राईव्हेट विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर किया और उनको 72 प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। लाईजिंग मिंज के द्वारा सरगुजा विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया गया जिसमें उनको 59 प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, इसके बाद उनके द्वारा प्राईव्हेट विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर किया और उनको 72 प्रतिशत अंक प्राप्त हुए।

इससे जाहिर है कि डिग्री बॉटने को गोरखधंधा किस गति से चलायमान है, और इससे पात्र विद्यार्थियों में असंतोष बढ रहा है, और प्राईव्हेट विश्वविद्यालय की प्रवेश सूची में अन्यथा ईजाफा हो रहा है।

राईट टू इंफारमेशन के तहत् प्राप्त लिस्ट से जाहिर है, कोरबा जिले की 2016 की अंग्रेजी विषय की मुक्त सूची देखे तो जाहिर है कि अंग्रेजी मुक्त 10 पद में से 01 गुरुघासीदास विश्वविद्यालय, 01 हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय एवं 01 पं0 रविशंकर विश्वविद्यालय से आए हैं, शेष एवं प्रथम, द्वितीय सर्वोच्च अंक भी प्राईव्हेट विश्वविद्यालय के छात्रों को ही प्राप्त हुआ है। जो कि प्रमाणित तथ्य है, जिसपर न्यायोचित कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। जिनके 10वी0 , 12वी एवं ग्रेजुएशन में प्राप्त अंक बेहद कम हैं। कोरबा जिले की 2016 की अंग्रेजी विषय की मुक्त सूची ''महिला'' देखे तो जाहिर है कि अंग्रेजी विषय में 06 पद में से 04 पद पर प्राईव्हेट विश्वविद्यालय के छात्र, यहॉ भी प्रथम द्वितीय सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी प्राईव्हेट विश्वविद्यालय से है। अंग्रेजी मुक्त (निःशक्त) में 01 पद है, और उसमें भी प्राईव्हेट विश्वविद्यालय के छात्र का सिलेक्शन हुआ है, - अंग्रेजी मुक्त (भूतपूर्व सैनिक) में 02 पद है, और उन दोनों पदों पर प्राईव्हेट विश्वविद्यालय के छात्र का सिलेक्शन हुआ है, अंग्रेजी मुक्त (अनु0 जाति) में 04 पद है, और उसमें सभी पर प्राईव्हेट विश्वविद्यालय के छात्रों का सिलेक्शन हुआ है, अंग्रेजी मुक्त (अनु0 जाति महिला) में 02 पद है, और उसमें सभी पर प्राईव्हेट विश्वविद्यालय के छात्रों का सिलेक्शन हुआ है, अंग्रेजी मुक्त (अनु0 जन0 जाति) में 13 पद है, और उसमें पूरे के पूरे 11 पर प्राईव्हेट विश्वविद्यालय के छात्रों का सिलेक्शन हुआ है, यहॉ यह भी विदित हो कि इनके 10 वी0 , 12वी एवं ग्रेजुएशन में प्राप्त अंक बेहद कम हैं। ये सभी प्रमाणित तथ्य है, जिसपर न्यायोचित कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

चाहा गया था, लिखित परीक्षा कराने के बाद, पास हुए विद्यार्थियों को मय इंटरव्यूह ही पात्र होना चाहिए।

जिस पर कार्यवाही करते हुए संघ ने समस्त दस्तावेजों के साथ 1/ श्रीमान् राज्यपाल महोदय, चांसलर, राजभवन, छ0ग0 शासन, रायपुर, छ0ग0 2/ श्रीमान् मुख्यमंत्री महोदय, छ0ग0 शासन, रायपुर, छ0ग0 3/ श्रीमान् प्रेमप्रताप पाण्डेय, उच्च शिक्षा मंत्री, रायपुर, छ0ग0 5/ श्रीमान् डा0 बी0एल0 अग्रवाल प्रमुख सचिव सह आयुक्त, उच्च शिक्षा, रायपुर, छ0ग0 6/ श्रीमान् वाईस चांसलर, पं0 रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर, छ0ग0 7/ श्रीमान् वाईस चांसलर, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छ0ग0 8/ श्रीमान् वाईस चांसलर, बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छ0ग0 9/ श्रीमान् वाईस चांसलर, दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग, छ0ग0 10/ श्रीमान् वाईस चांसलर, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर, छ0ग0 को लिखित में पत्र भेजा है, जिस पर संज्ञान लिया गया है, और दिनॉक 24-04-2017 को इस पर जॉच हेतु आवेदनकर्त्तागण को तलब किया गया है, जिसपर हर्ष व्याप्त है, और आशा की जा रही है कि उचित कार्यवाही होगी।

योजनाओं के क्रियान्वयन में सुस्ती, सीएम ने दो कलेक्टरों को हटाया

रायपुर । प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाली योजनाओं के क्रियान्वयन में सुस्ती सूरजपुर और कोरिया के कलेक्टरों को भारी पड़ गई। सूरजपुर दौरे से लौटने के बाद पुलिस लाइन हेलिपैड पर मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने मीडिया से कहा कि कोरिया कलेक्टर एस प्रकाश और सूरजपुर कलेक्टर जीआर चुरेंद्र को हटा दिया है। कोरिया के जिला पंचायत सीईओ संतन देवी जांगड़े को भी हटाने कहा है। बताया जाता है कि सीएम ने यह निर्णय पहले नहीं लिया था। हेलिकॉप्टर में ही हवा में यह निर्णय लिया गया। साथ मौजूद रहे मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव अमन सिंह का कहना है कि यह निर्णय किसी गड़बड़ी की शिकायत पर नहीं लिया गया, आप अनुमान न लगाएं। मुख्यमंत्री ने दो दिन में चार जिलों का दौरा किया। दो जिलों में काम ठीक है, जबकि दो में सुस्ती दिखी। इसीलिए उन्होंने दो कलेक्टरों को हटाने को कहा है। सीएम ने साफ कर दिया है कि शिकायत का एक दाना भी पकड़ में आया तो निपटा दूंगा। सीएम ने कहा मैं काम की गति और योजनाओं के क्रियान्वयन से संतुष्ट नहीं था। लोक सुराज अभियान जनता का अभियान है। जनता जो चाहेगी वही होगा। मैंने जनता के पक्ष में निर्णय लिया है। सीएस विवेक ढांड से कहा है कि कोरिया सूरजपुर कलेक्टर तथा कोरिया जिला पंचायत सीईओ को तत्काल रायपुर मुख्यालय अटैच करें। तीनों के स्थानांतरण की वजह काम काज में सुस्ती ही बताई जा रही है। सीएम ने कहा कि मैं प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों को यह संदेश देते थक गया हूं कि जो काम नहीं करेंगे हटाए जाएंगे। हालांकि सूरजपुर कलेक्टर के खिलाफ पहले से विभागीय जांच चल रही है। कोरिया जिले में स्वच्छ भारत मिशन में गड़बड़ी की शिकायतें भी रहीं हैं।

बगैर मूल्यांकन मर्जी से नंबर चढाने का मामला उजागर

रायपुर, आरंग ब्लॉक के मोखला गांव के सरकारी स्कूल में छात्रों की परीक्षा तो ली गई, लेकिन बगैर मूल्यांकन मर्जी से नंबर चढाने का मामला उजागर हुआ है। 6वीं-7वीं के इन बच्चों की उत्तर पुस्तिकाएं कचरे के ढेर में फेंके जाने की सूचना पर एक प्रतिष्ठित अखबार की टीम ने जाकर पड़ताल की तो भविष्य से खिलवाड़ की तस्दीक हुई। दरअसल मिडिल तक फेल पास खत्म करने के बाद शिक्षा विभाग के अफ्सरों से लेकर शिक्षक तक लापरवाह हो गए हैं, जिसके ऐसे उदाहरण प्रदेशभर में मिल रहे हैं। प्रतिष्ठित अखबार ने दावा किया है कि उनके पास बच्चों की उत्तर पुस्तिकाएं हैं। इनमें साफ-साफ दिख रहा है कि इन्हें जांचा ही नहीं गया, सिर्फमर्जी से नंबर चढा दिए गए। कॉपी में कहीं भी पेन तक नहीं चला है। हद तो यह है कि कई कॉपियों में नंबर ही नहीं दिए गए। कचरे में मिली यह कॉपियों को किस शिक्षक ने जांची यह पता नहीं चल पाया है। बड़ा सवाल यह भी है कि शिक्षक अगर कॉपियां जांचने घर ले जा रहे हैं तो जांचने के बाद उन्हें स्कूल में जमा क्यों नहीं करवाया जाता, इसी का फायदा शिक्षक उठाते हैं। बतां दें मौखला स्कूल में 250 छात्र अध्ययनरत हैं।

निलंबित पटवारी साहू बचाव हेतु उपस्थित हो

रायगढ। कुनकुनी जमीन घोटाले में शामिल तरूणा साहू तत्कालीन पटवारी खरसिया निलंबित को उनके विरूद्ध विभागीय जांच में दो शासकीय साक्षियों के प्रतिपरीक्षण साक्ष्य एवं स्वयं के बचाव साक्ष्य हेतु 20 अप्रैल 2017 को तहसील कार्यालय पुसौर में उपस्थित होने सूचना पत्र जारी किया गया है। श्रीमती साहू उक्त तिथि को उपस्थित नहीं होती है तो उनके विरुद्ध विभागीय जांच प्रकरण में एक पक्षीय निर्णय लिया जाएगा, जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होंगी।

35 साल पुरानी सिंगल फेस बिजली लाइन पर थ्री फेस का लोड होने से हुई आगजनी?

रायपुर,गोलबाजार स्थित मानिक सेल्सए जहां पिछले दिनों आगजनी हुई, उस बिल्डिंग में 35 साल पुराने और पतले तारों से बिजली सप्लाई की जा रही थी। इस कारण शॉर्ट सर्किट हुआ जिसने भीषण आगजनी का रूप ले लिया। बिजली विभाग के तारों की क्षमता ज्यादा है, लेकिन बिल्डिंग मालिक केबल के बजाए आज भी सिंगल फेस वाले पतले तार इस्तेमाल कर रहे हैं। लोड बढते ही तार गल जाता है और शॉर्ट सर्किट से आगजनी होती है। होटल तुलसी और मानिक सेल्स में यही हुआ होगा। बिजलीकर्मियों का कहना है कि कुछ लोगों ने सप्लाई का लोड बढाया जरूर, लेकिन पुरानी वायरिंग नहीं बदली। तीस साल में छोटी दुकानें अब बिल्डिंग में बदल चुकी हैं। यहां बल्ब, ट्यूब लाइट और पंखे के हिसाब से वायरिंग की गई थी, लेकिन अब तारों पर कई मंजिलों में जल रही लाइट और एसी का लोड पड़ रहा है। कर्मियों ने बताया कि ऊपरी मंजिलों में नई वायरिंग हो सकती हैए लेकिन खंभों से मीटर तक और मीटर से ग्राउंड फ्लोर के तार आज भी पुराने हैं। एसी चलने या एक साथ खपत बढने पर इन तारों में शॉर्ट सर्किट हो जाती है।

आम फल की नीलामी 25, 27 एवं 29 को

रायगढ। शासकीय उद्यान रोपणी बासनपाली तमनार में 25 अप्रैल को, नदीगांव बरमकेला में 27 अप्रैल तथा घरघोड़ा में 29 अप्रैल 2017 को आमफल की नीलामी दोपहर 2 बजे किया जाएगा। इच्छुक व्यक्ति नियत तिथि एवं समय पर रोपणी में आकर बोली लगा सकते है। विस्तृत जानकारी के लिए सहायक संचालक उद्यान कार्यालय रायगढ में संपर्क कर सकते हैं।

प्रदेश में अगले साल युवाओं के लिए खुलेगा नौकरी का पिटारा

रायपुर,छत्तीसगढ के बेरोजगार युवाओं के लिए अगले साल की शुरुआत में नौकरियों का पिटारा खुलेगा। चुनावी साल में सरकार युवाओं को लुभाने के लिए बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरियों में भर्ती करने की तैयारी कर रही है। अनुमान के मुताबिक प्रदेश में कनिष्ठ स्तर के करीब 10 हजार पद खाली पड़े हैं। मध्यप्रदेश के जमाने से जिन पदों को नहीं भरा गया है उन पदों पर भी अब नई नियुक्तियां की जाएंगी। सहायक ग्रेड 3 से लेकर प्रयोगशाला सहायक और वेटनरी फील्ड असिस्टेंट जैसे पदों पर अवसरों की भरमार होने की संभावना मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी बता रहे हैं। जीएडी ने प्रदेश के सभी सरकारी विभागों से रिक्त पदों की जानकारी मांगी है। इन सभी पदों के लिए संयुक्त अर्हता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा में क्वालीफाई करने वालों को चुनाव के ऐन पहले नौकरी मिल जाएगी। प्रदेश में पिछले कुछ सालों से संविदा में नियुक्तियां ही होती रही हैं। वन विभाग, पीडब्ल्यूडी, पीएचई और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विभागों में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर दैनिक वेतनभोगियों से काम चलाया जा रहा है। अब इन पदों पर स्थाई नियुक्ति का मन सरकार ने बना लिया है।

क्वीट इंडिया नोटिस, 72 घंटे में छोड़ना होगा देश

File Photo

रायपुर। शहर में संचालित स्पा सेंटरों में थाईलैंड से आई युवतियों की वीसा शर्तो के उल्लंघन का मामला सामने आया है। खुलासा होने के बाद पुलिस ने 20 युवतियों को देश छोड़ने क्वीट इंडिया नोटिस जारी कर दिया है। बताया गया है कि बिजनेस वीसा की शर्त पर आकर युवतियां बतौर वर्कर बनकर काम कर रही थीं। स्पा सेंटरों को अलग से नोटिस जारी कर उन्हें तलब किया जा रहा है। सोमवार को शहर के 5 स्पा सेंटरों में दबिश देने के बाद अगले दिन पुलिस ने युवतियों के खिलाफ नोटिस जारी करने की पुष्टि की। एएसपी विजय अग्रवाल ने वीसा शर्तो के उल्लंघन करने के मामले में 72 घंटों का अल्टीमेटम जारी करना बताया। एएसपी के मुताबिक स्पा सेंटरों में विदेशी मूल की युवतियां काम करते पाई गई थी। बैंक खातों में वेतन संबंधी भुगतान होने के बारे में पता चला। चूंकि सभी बिजनेस वीजा की शर्तों पर यहां आई हुई थीं, लिहाजा नियमानुसार उन्हें देश छोड़ने के लिए नोटिस जारी किया गया। शहर में स्पा सेंटरों पर अब तक की यह बड़ी कार्रवाई हुई है,जब विदेशी मूल की महिलाओं को नोटिस जारी हुआ है। पुलिस की जांच में बताया गया है कि विदेशी नागारिकों के गैर कानूनी तरीके से काम करने के मामले में स्पा सेंटर संचालक भी दोषी है। पांच स्पा संचालकों की भूमिका संदिग्ध होने पर उन्हें भी नोटिस भेजा है।